

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, लोहरदगा।
(जिला नीलाम पत्र शाखा)

(1) वाद संख्या 01/11-12, TR No 138/20-21

कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल लोहरदगा :- अधियाचक बनाम

शंकर प्रसाद सिंह, पिता-शून्य, ग्राम+पोस्ट+थाना-सेन्हा,
जिला-लोहरदगा :- देनदार

(2) वाद संख्या 11/11-12, TR No ~~73/14-15~~ 139/20-21

शतीस कुमार गोराई, पिता-के0पी0 गोराई, ग्राम-मेन रोड़ सेन्हा,
पोस्ट-सेन्हा, थान-सेन्हा, जिला-लोहरदगा :- देनदार

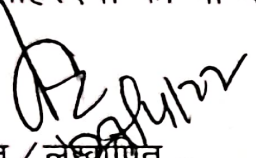
आदेश

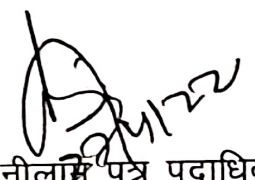
यह वाद कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल लोहरदगा द्वारा विद्युत विपत्र राशि जमा नहीं करने के विरुद्ध वर्ष 2011-12 में देनदार श्री शंकर प्रसाद सिंह, पिता-शून्य, ग्राम+पोस्ट+थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा पर मो0 11850/- (ग्यारह हजार आठ सौ पचास) रुपये एवं शतीस कुमार गोराई, पिता-के0पी0 गोराई, ग्राम-मेन रोड़ सेन्हा, पोस्ट-सेन्हा, थान-सेन्हा, जिला-लोहरदगा पर मो0 50058/- (पचास हजार अठावन) रुपये वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर किया गया था।

विभिन्न न्यायालय से होकर दिसम्बर 2020 में इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। कार्यालय पत्रांक 247, दिनांक 28.09.2021 एवं पत्रांक 248, दिनांक 28.09.2021 के द्वारा अंतिम रूप से उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। दोनों ही वादों का तामिला नहीं हो पाता है। इस न्यायालय में आने के पूर्व भी अपर समाहर्ता-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 75, पत्रांक 74, दिनांक 14.03.2018 के द्वारा भी सही पता उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। पुनः कार्यालय पत्रांक 592, दिनांक 22.11.2021, पत्रांक 664, दिनांक 01.02.2021 एवं पत्रांक 106, दिनांक 22.02.2022 के द्वारा कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल लोहरदगा को स्मारित किया गया किन्तु किसी भी तरह कार्यपालक अभियंता लोहरदगा के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में इस तरह के वाद को चलाये रखना व्यर्थ का समय गबाना है। इस अधियाचक के असहयोग की स्थिति में वाद को रखना उचित नहीं है।

अतः देनदार शंकर प्रसाद सिंह सेन्हा के वाद संख्या 01/11-12, TR No 138/20-21 एवं शतीस कुमार गोराई, पिता-के0पी0 गोराई, ग्राम-मेन रोड़ सेन्हा, पोस्ट-सेन्हा, थान-सेन्हा के वाद संख्या 11/11-12, TR No 73/14-15 को लोक मांग अधिनियम की धारा 53(2) के अन्तर्गत वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल लोहरदगा को भी दें।


सत्यापित/लेखापित


जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी,
लोहरदगा।